अंतरिम कार्यवाही दिनांक 10-05-2018

अनावेदक पक्ष के निवेदन पर बाद विचार दर्शित आधार पर न्यायहित में प्रकरण सुनवाई में लिया गया।

आवेदक / राज्य द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

अनावेदक / अभियुक्त रामहेत सिंह की ओर से श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / अभियुक्त रामहेत सिंह की ओर से श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव ने संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि कमशः 2000 रूपये रसीद कमांक 27 बुक कमांक 11232 पर जमा कराई गई।

प्रकरण में संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि जमा हो चुकी है और अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः यह विविध आपराधिक प्रकरण निरस्त किया जाता है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को जारी वसूली संबंधी आदेश पत्र जारी होने की दशा में अविलंब वापस बुलाया जाये। प्रकरण में पूर्व से नियत तिथि निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड